वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 28)

[20 अगस्त, 2018]

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यथा उपबंधित के सिवाय, यह 3 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

वृहत् शीर्षक का संशोधन।

2. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्षक में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के पश्चात् ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2016 का 4

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 है।''।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(क) ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' से धारा 3क के अधीन पदाभिहित वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिप्रेत है।';

(ii) खंड (झ) में ''एक करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय शीर्ष का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

''वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपील न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों का गठन''।

धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे।'';

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या राज्य के भाग के लिए ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे।'';

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से या तो जिला न्यायाधीश के स्तर पर या किसी जिला न्यायाधीश के स्तर से निम्न किसी न्यायालय से ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो, वाणिज्यिक न्यायालय का या के न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी।''।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वाणिज्यिक अपील न्यायालयों का अभिहित किया जाना।

''3क. ऐसे राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जिन पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा जिला न्यायाधीश के स्तर पर इतनी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग और उन न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।''।

धारा 4 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, ''मामूली सिविल अधिकारिता'' शब्दों के स्थान पर, ''मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 का लोप।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) के अंत में ''हिसाब में लिया जाएगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन।

11. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय 3क

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता।

12क. (1) कोई वाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए, संस्थित करने से पूर्व मध्यकता का उपचार प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा संस्थित करने से पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी। 1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी, वादी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यकता की प्रक्रिया पूरी करेंगे: 1987 का 39

परंतु मध्यकता की अवधि को पक्षकारों की सहमति से दो मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु यह और कि उस अवधि की संगणना, जिसके दौरान पक्षकार संस्थित करने से पूर्व मध्यकता में लगे रहते हैं, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन परिसीमा के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी। 1963 का 36

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों में समझौता हो जाता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) इस धारा के अधीन हुए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा मानो यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन सहमत निबंधनों पर कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय हो। 1996 का 26

धारा 13 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(1) जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपील न्यायालय को अपील कर सकेगा।

(1क) यथास्थिति, आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग को अपील कर सकेगा:

परंतु कोई अपील, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या किसी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी, जो इस अधिनियम और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 द्वारा यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 में विशिष्ट रूप से प्रगणित है।''। 1996 का 26 1908 का 5

धारा 14 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 में, ''वाणिज्यिक अपील प्रभाग'' शब्दों के स्थान पर, ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय और वाणिज्यिक अपील प्रभाग'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में, ''आदेश 14क'' शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर ''आदेश 15क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 20 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, ''वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 21क का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

''21क. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन संस्थित करने से पहले मध्यकता की रीति और प्रक्रिया;

(ख) कोई ऐसा अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) पैरा 4 के उपपैरा (ई) की मद (iv) में,—

(क) आरंभिक भाग में, ''पहले परंतुक के पश्चात्'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परंतु'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) पैरा 11 में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर ''वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पैरा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'12. परिशिष्ट ज, के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परिशिष्ट-झ

सत्य कथन

(पहली अनुसूची, आदेश 6—नियम 15क और आदेश 11—नियम 3 के अधीन)

मैं.....अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं:

1. मैं उक्त वाद में पक्षकार हूं और इस शपथ-पत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।

2. मैं मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हूं और मैंने उससे संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों की परीक्षा भी की है।

3. मैं यह कथन करता हूं कि पैरा .... में किए गए कथन, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और पैरा .... में किए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं जिनके मैं सही होने का विश्वास करता हूं और पैरा.... में किए गए कथन विधिक सलाह पर आधारित हैं।

4. मैं यह कथन करता हूं कि किसी भी तात्विक तथ्य, दस्तावेज या अभिलेख का मिथ्या कथन नहीं किया गया है या छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी सूचना को सम्मिलित किया है जो मेरे अनुसार इस वाद के लिए सुसंगत है।

5. मैं यह कथन करता हूं कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में मेरे द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रकट कर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न है और यह कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

6. मैं यह कथन करता हूं कि पूर्व उल्लिखित अभिवचन में कुल मिलाकर.....पृष्ठ हैं जो मेरे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हैं।

7. मैं यह कथन करता हूं कि इसके उपाबंध, मेरे द्वारा निर्दिष्ट और निर्भर किए गए दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।

8. मैं यह कथन करता हूं कि मुझे यह जानकारी है कि किसी मिथ्या कथन या छिपाए जाने के लिए मैं तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन रहूंगा।

स्थान:

तारीख :

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं .....यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य हैं।

स्थान ..... पर तारीख .....को सत्यापित।

अभिसाक्षी''।'।

अधिनियम के उपबंधों का इसके आरंभ होने पर या उसके पश्चात् फाइल किए गए मामलों को लागू होना।

19. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किए गए वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों में ही लागू होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

20. (1) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2018 का अध्यादेश सं॰ 3

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————